1609
25.7.18

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / विविध / 2018 / 19 दिनांक : 25.07.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय

विषय :– निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) स्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर के पत्रांक प.4 (3)(3)SVEEP/Elec/ELC/2018 / 3344 दिनांकः 20.06.2018 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 491 / ECL/LET/SVEEP-I/EL/ELC/2017 दिनांक 03 नवम्बर, 2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा देश भर में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs- ELCs) गठित करने के निर्देश दिए है। निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs- ELCs) प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने वाले सक्षम केन्द्रों के रूप में कार्यरत होंगे, जो मतदाता शिक्षा की प्रक्रिया को विकसित एवं मजबूत करते हुए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे :–

1. मतदाता सहभागिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा मतदाता पंजिकरण आदि के बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे। 14 वर्ष / कक्षा 9वीं से ही बच्चों को मतदान प्रक्रिया संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
2. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले ELC सदस्यों को मतदाता बनने हेतु सहयोग व सुविधा प्राप्त की जाएगी।
3. ELCs हेतु लक्षित वर्गों को मतदान के महत्व की जानकारी देंगे, जिससे वे बिना प्रलोभन के सोच–समझ कर मतदान करने में सक्षम बन सके।
4. समाज के विभिन्न वर्गों में मतदाता शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु ELCs के सदस्यों की सार्म्थय का उपयोग किया जा सकेगा।
5. EVM एवं VVPAT संबंधी जानकारी का प्रसार करेंगे।
6. चुनाव प्रक्रिया संबंधी कानुनी पहलुओं, तकनीकी पहलुओं, मीडिया संबंधी पहलुओं एवं नवाचारों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

भावी मतदाताओं के लिए साक्षरता क्लब (विद्यालय स्तर पर) :–

भावी मतदाताओं के लिए विद्यालय स्तर पर साक्षरता क्लब (ELC for Future Voters at School level) कक्षा 9 से 12 तक के 14 से 17 आयु वर्ग के विद्यार्थियों (भावी मतदाताओं) को सम्मिलित करते हुए चुनाव संबंधित जागरूकता बढाई जाएगी। उक्त ELCs के गठन हेतु EROs अपने स्तर पर सर्वे करवाकर अधिक नामांकन वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा आस–पास के कम नामांकन वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार के क्लब स्थापित करेंगे।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2017 से कक्षा 9 से 12 तक के 14 से 17 आयु. वर्ग के विद्यार्थियों की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा "Interactive School Engagement" (ISE) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आयोग के नवीन निर्देशानुसार अब प्रत्येक वर्ष माह जुलाई एवं अक्टूबर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तथा प्रत्येक चार वर्षों में सभी विद्यालयों को कवर किया जाना है। अतः इस कार्य योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए विद्यालय क्लब आवंटन करने के लिए तत्काल उपलब्ध है।

निर्वाचन साक्षरता क्लबों के जिला नोडल अधिकारी :—

विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता के जिला नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक—प्रथम होंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा—निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्य. —बारां
क्रमांक: जिशिअ/मा./बारां/शै.प.-2/2018/533 दि. 31.7.2018
समस्त संस्थाप्रधान

मूल पत्र भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बारां

www.rajteachers.com

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner